पत्रांक–भवन/बजट–54–योजना(समाज कल्याण विभाग)–01/2015–16.....6873 (M)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.) बिहार।
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक – 23/7/26

विषयः– समाज कल्याण विभाग के योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल **₹ 56,80,000/– (छप्पन लाख अस्सी हजार रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना के आलोक समाज कल्याण विभाग के योजना के क्रियान्यवन हेतु कुल **₹ 56,80,000/– (छप्पन लाख अस्सी हजार रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026–27 के व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	कैमुर (भभुआ) में एक पर्यवेक्षण गृह एवं एक बाल गृह के निर्माण का कार्य	07/31.01.20 एवं शुद्धि पत्र 91/14.07.2025	₹ 56,80,000/– (छप्पन लाख अस्सी हजार रूपये)

2 उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या–03 के मुख्य शीर्ष–4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष–02–समाज कल्याण, लघुशीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0104–समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न भवनों का निर्माण वित्त कोड–03–4235020510104 के विषय शीर्ष–53–मुख्य निर्माण कार्य–0104.53.01 मुख्य निर्माण कार्य अर्न्तगत उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2026–27 में किया जाएगा ।

3 इस राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4 इस राशि के निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड पटना से की जायेगी।

5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमती एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी. एफ. एम एस. से की जा रही है।

7. उक्त राशि **बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना** के **पी.एल. खाता संख्या–238** (पी0 एल0 कोड–सी.एफ.एम.एस. के लिए PNBPLA007) **विपत्र कोड–के. 8448001200017** (**Ledger Id-14431**) में स्थानान्तरित किया जायेगा।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक –6873 (M) पटना, दिनांक – 23/7/26

प्रतिलिपि– सचिव (व्यय), वित विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।